102

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण कमांक /निगरानी/2015

निग. 2665-II/15

01. श्रीमति मालती बाई बेवा रमेश चन्द्र आयु वयस्क
02. ब्रजेश आ. स्व. श्री बेनीप्रसाद आयु वयस्क
दोनों निवासी कुलकुला मंदिर के सामने, इंग्लिशपुरा
सीहोर तहसील व जिला सीहोर म0प्र0 ....निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

01. रवि कुशवाह आ. स्व. श्री पन्नालाल कुशवाह आयु वयस्क
02. लक्ष्मी बाई पुत्री स्व. श्री पन्नालाल आयु वयस्क
03. सुशीला बाई पुत्री स्व. श्री पन्नालाल आयु वयस्क
तीनों निवासी मकान नंबर 325, बाणगंगा उज्जैन नाका
पुराना वाला मुखर्जी नगर, गली नंबर 07, इंदौर
जिला इंदौर म0प्र0 ....रेस्पाण्डेंटगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरुद्ध सूचना पत्र दिनांक 07/08/2015 प्रकरण कमांक 1/अ-12/14-15 पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नजूल तहसीलदार महोदय सीहोर द्वारा पारित किया गया।

प्रकरण जो आहुत किये जाने हैः-

01. सूचना पत्र दिनांक 07/08/2015 प्रकरण कमांक 1/अ-12/14-15 पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नजूल तहसीलदार महोदय सीहोर

02. प्रकरण कमांक 165/अ-6/14-15 आदेश दिनांक 16/06/2015 पारित द्वारा श्रीमान् नजूल तहसीलदार महोदय, सीहोर

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ नजूल अधिकारी सीहोर के न्यायालय द्वारा पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता हैः-

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पाण्डेंट कमांक 01 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर झुग्गी पट्टा कमांक 97, क्षेत्रफल 8X5 कुल 40 वर्गमीटर इंग्लिशपुरा छावनी सीहोर स्थित नजूल शीट कमांक 122 के भूखण्ड 31 में का सीमांकन अवैध रुप से किये जाने हेतु

निरंतर पेज 2 पर

निरंतर पेज 3 पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—अ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2665—दो/2015 जिला सीहोर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
26-06-18	आवेदक के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एंव अनावेदक के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार नजूल सीहोर के प्रकरण क्रमांक 1 अ—12/2014—15 में जारी सीमांकन सूचना दिनांक 7—3—2015 पर से प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार नजूल जांच सीहोर को अनावेदक क्र—1 ने झुग्गी पटटे के परिमाप हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से तहसीलदार नजूल जांच सीहोर ने प्रकरण क्रमांक 1 अ—12/2014—15 पॅजीबद्व किया एंव सीमांकन की सूचना दिनांक 7—3—2015 को जारी की गई। इसी सीमांकन सूचना के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि रबि कुशवाह ने झुग्गी पटटा क्रमांक 97 क्षेत्रफल 8X5 कुल 40 वर्गमीटर इंग्लिशपुरा छावनी स्थित नजूल शीट क्रमांक 122 के भूखंड क्रमांक 31 का सीमांकन अवैध रूप से किये जाने का आवेदन दिया है जिस पर से तहसीलदार ने गलत ढंग से प्रकरण पंजीबद्व कर दिनांक 10—8—15 को सीमांकन करने की सूचना दिनांक 7—8—15 को जारी की है क्योंकि रबि कुशवाह व्दारा मिथ्या जानकारी देकर नजूल शीट क्रमांक 122 के भूखंड क्रमांक 31 नजूल पंजी क्रमांक 193 झुग्गी क्रमांक 97 का गलत नामांतरण कराया है जिसके कारण उसे सीमांकन की पात्रता नहीं है इसलिये सीमांकन सूचना दि. 7—3—2015 निरस्त की जावे। अनावेदकगण के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग की है।	

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यदि रबि कुशवाह व्दारा मिथ्या जानकारी देकर नजूल शीट कमांक 122 के भूखंड कमांक 31 नजूल पंजी कमांक 193 झुग्गी कमांक 97 का गलत नामांतरण कराया है तब आवेदक ऐसे नामान्तरण आदेश के विरूद्व अपील/निगरानी करने हेतु स्वतंत्र है और जब विचाराधीन पटटे की भूमि का रबि कुशवाह पटटाधारी है, पटटे की भूमि सीमांकन उपरांत चिन्हांकन कराने का वह अधिकारी है। जहां तक विचाराधीन पटटे की सीमांकन कार्यवाही का प्रश्न है ? म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अंतर्गत प्रत्येक भूमिस्वामी अपनी भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है विचाराधीन भूखंड के सीमांकन से आवेदकगण को किस प्रकार की क्षति हो रही है आवेदकगण के अभिभाषक समाधान कराने में सफल नहीं रहे हैं। विचाराधीन निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य